

मध्यप्रदेश शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय

// संशोधन आदेश //

भोपाल, दिनांक 23/12/2017

क्रमांकएफ.5(सी)09/2015/ई/चार, विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 21.11.2017 द्वारा श्री ओमप्रकाश मुंगेलवाल, तत्कालीन अतिरिक्त कोषालय अधिकारी इंदौर को निलंबन से बहाल करते हुए सहायक संचालक संचालनालय, कोष एवं लेखा कार्यालय भोपाल में पदस्थ किया गया था। उक्त आदेश में संशोधन करते हुए आदेश दिनांक 27.11.2017 द्वारा श्री मुंगेलवाल को लेखाधिकारी जिला पंचायत होशंगाबाद के पद पर अस्थायी रूप से पदस्थ किया गया है। जिला पंचायत होशंगाबाद में पद रिक्त न होने के कारण विभागीय आदेश दिनांक 27.11.2017 को संशोधित करते हुए श्री मुंगेलवाल, सहायक संचालक को पुनः संचालनाय, कोष एवं लेखा, म.प्र. में पदस्थ किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा
आदेशानुसार,

(विजय कठाने)

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग
भोपाल, दिनांक 23/12/2017

पृ.क्रमांकएफ.5(सी)09/2015/ई/चार,
प्रतिलिपि:-

1. मा.वित्त मंत्रीजी के विशेष सहायक ।
2. अपर मुख्य सचिव, म.प्र.शासन, वित्त विभाग के निज सहायक।
3. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, म.प्र.शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मंत्रालय ।
4. प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, वित्त विभाग के निज सहायक।
5. पुलिस अधीक्षक विशेष पुलिस स्थापना लोकायुक्त इंदौर संभाग इंदौर म.प्र.।
6. आयुक्त, कोष एवं लेखा, म.प्र.।
7. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत होशंगाबाद।
8. संभागीय संयुक्त संचालक, कोष एवं लेखा, भोपाल/रीवा म.प्र.।
9. कोषालय अधिकारी, होशंगाबाद/रीवा/भोपाल।
10. श्री ओमप्रकाश मुंगेलवाल, सहायक संचालक (म.प्र.वित्त सेवा अधिकारी) कार्यालय आयुक्त, कोष एवं लेखा, म.प्र. द्वारा:- आयुक्त, कोष एवं लेखा मध्यप्रदेश। कृपया संबंधित को आदेश उपलब्ध कराकर पावती विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
11. गार्ड फाइल ।

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग